कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः–1505 / 12-1 देहरादूनः दिनांकः 31 जनवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिलागॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/151058/2022)।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के ई0डी0एस0 दिनांक 24.05.2023

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS **दिनांक 24.05.2023** के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1694/12–1 (2) दिनांक 03.01.2024 द्वारा बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क0सं0	आपत्ति	निराकरण	
		वन संरक्षक के उरोक्त पत्र के माध्यम से से प्रेषित लो0नि0वि0 एवं भारत सरकार द्वारा सुझाये गयो संरेखन का तुलनात्मक विवरण निम्नवत–	
		प्रस्तावित संरेखन	**पैदल रास्ते वाला संरेखन**
1.	The KML analysed and found that the village Tuleri has already been connected from the existing road, while the other village Nain can be connected along the existing bridal path from the other side in a way so that the number of trees to be felled can be reduced to its minimum. The State Government is requested to explore the possibility of alternate along with the existing bridal path in order to connect the village Naini and submit the detailed report.	1. प्रस्तावित संरेखन में मोटर मार्ग का निर्माण होने से मोटर. मार्ग से संयोजित होने वाले ग्राम जनपद मुख्यालय एवं लमगड़ा बाजार जाने में 13 किमी0 की दूरी तय करनी पडेगी। 2. प्रस्तावित संरेखन में 1 मी0 स्पान कलवर्ट का निर्माण करके नालों को पार किया जा सकता है। 3. प्रस्तावित संरेखन में कम ऊचाई की चट्टाने होने के कारण मार्ग निर्माण किया जाना उचित प्रतीत होता है। 4. प्रस्तावित संरेखणन बनाये जाने मे भूवेत्ता द्वारा सहमति प्रदान की है। 5. इस प्रस्तावित संरेखन में ग्रामवासियों की अनापत्ति प्राप्त है।	1. वर्तमान में सुझाये गये संरेखन में मोटर मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासियों को जनपद मुख्यालय एवं लमगडा बाजार जाने में 18 किमी0 की दूरी तय करनी पडेगी। 2. नालों की चौडाई अधिक होने के कारण 6 मी0 स्पान से लेकर 10 मी0 स्पान तक पुलो का निर्माण किया जाना होगा जो मोटर मार्ग के स्थायित्व एंव आर्थिक दृष्टिकोट से उचित नही है। 3. इस मार्ग में अधिक ऊचांई एंव कठोर खडी चट्टानें होने के कारण अधिक कटान का कार्य किया जायेगा। जिसके कारण उक्त स्थानो पर स्लिप जोन बनने की संभावना है जिससे अत्यधिक भू–कटाव होगा। 4. यह संरेखन बनाये जाने मे भूवेत्ता द्वारा अपनी असहमति व्यक्त की गयी है (आख्या संलग्न)। 5. इस संरेखन में ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की जा रही है।

2.	The tree Enumeration detail is not clear because the number (tree count) mentioned in the docuents uploaded as an additional document in online portal is differ from the number provided in online Part II at para 4. State Government is requested to clarify this discrepancy and provide/ upload the correct information in this regard.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पूर्व प्रेषित पार्ट– II में (0–30) सेमी0 व्यास श्रेणी के वृक्ष ऑनलाईन प्रदर्शित नही होने के कारण पार्ट– II में अंकित नही हो पायें। जिन्हें वर्तमान में पार्ट– II के पैरा–4 (II) में ऑनलाईन वृक्षों की संख्या अंकित कर दी गयी है। वृक्षों की सूची पार्ट– II के Additional information में अपलोड की गयी है।
3.	The State Governmnent is requested to provide tree enumeration details for 7m width also.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा 7 मी0 चौडाई में वृक्षो की गणना सूची पार्ट– I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 48 में अपलोड कर दी गयी है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 1505 /12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।